भारत INDIA INDIA भारत भारत
पाँच रुपये FIVE RUPEES FIVE RUPEES पाँच रुपये पाँच रुपये (150)

न्यायालय माननीय प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (भोपाल कैम्प)

प्रकरण क्रमांक :

महेन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड होशंगाबाद द्वारा

अजीत विश्वकर्मा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रसूलिया होशंगाबाद .... अपीलार्थी

विरुद्ध PBR/अपील/होशंगाबाद/स्टा.आदि/2017/3852

1. **म.प्र. शासन** द्वारा उप पंजीयक सोहागपुर
2. **मोहन सिंह** आ. भैयालाल निवासी

ग्राम बोरना गूजर तह. सोहागपुर

जिला–होशंगाबाद ....उत्तरवादीगण

अपील धारा 47क (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत

अपीलार्थी यह अपील श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/बी.103/15/16 म.प्र. शासन विरुद्ध महेन्द्रा रुरल फाइनेंस लिमिटेड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.04.2015 के विरुद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लेखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है :-

आधार एवं कारण

1. यह कि विद्वान कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस होशंगाबाद ने विवादित आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों [illegible] की है [illegible] कारण पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2. यह कि विद्वान निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने में विधि एवं तथ्यों की गंभीर भूल की है इस कारण पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि निम्न न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि उत्तवादी क्रमांक–2 ने अपीलार्थी से भवन निर्माण हेतु [illegible] प्राप्त किया था और ग्राम बोरना गूजर तह. सोहागपुर सिथित मकान नंबर 73 वार्ड नंबर–6 पटवारी हल्का नंबर 16 में स्थित मकान कुल रकवा 2318 वर्गफिट में से [illegible] वर्गफिट पर निर्मित मकान को बंधक रखा गया [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/होशंगाबाद/स्टाम्प अधि./2017/3852

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
25-4-2019	अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी की ओर से यह अपील कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध सीधे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जबकि उन्हें कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना चाहिए था । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होने से यह अपील अग्राहय की जाती है । अपीलार्थी सूचित हो । अध्यक्ष	